

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

ई-मेक/अप लोड

क्रमांक एफ 2 (21) खा.वि./स्था.प्र./2024/01858

जयपुर, दिनांक : 26.06.2024

-: कार्यालय आदेश:-

विभाग द्वारा प्रवर्तन निरीक्षकों की कैडर स्ट्रेन्थ के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (मुख्यालय) एवं कार्यालय जिला रसद अधिकारी (समस्त) के मध्य निम्नानुसार विभाजन (संशोधित कैडर स्ट्रेन्थ) किया जाता है:-

क्रम संख्या	विभाग / जिला रसद कार्यालय	पूर्व स्वीकृत पद (कैडर स्ट्रेन्थ)	संशोधित स्वीकृत पद (कैडर स्ट्रेन्थ)
1	2	3	4
1	अजमेर	15	12
2	अलवर	13	10
3	बांसवाडा	6	06
4	बारां	9	09
5	बाड़मेर	7	05
6	भरतपुर	14	12
7	भीलवाडा	12	10
8	बीकानेर	12	12
9	बूंदी	6	06
10	चित्तोड़गढ़	8	08
11	चूरू	7	07
12	दौसा	6	06
13	धौलपुर	6	06
14	डूंगरपुर	5	05
15	श्रीगंगानगर	9	06
16	हनुमानगढ़	7	07
17	जयपुर शहर	12	12
18	जयपुर ग्रामीण	16	13
19	जैसलमेर	04	04

क्रम संख्या	विभाग / जिला रसद कार्यालय	पूर्व स्वीकृत पद (कैडर स्ट्रेन्थ)	संशोधित स्वीकृत पद (कैडर स्ट्रेन्थ)
1	2	3	4
20	जालोर	07	05
21	झालावाड	07	07
22	झुंझुनू	07	06
23	जोधपुर	16	13
24	करौली	07	07
25	कोटा	12	12
26	नागौर	11	08
27	पाली	09	09
28	राजसमन्द	08	08
29	सवाई माधोपुर	08	06
30	सीकर	07	06
31	सिरोही	06	06
32	टोंक	07	05
33	उदयपुर	17	14
34	प्रतापगढ़	06	06
35	अनूपगढ़	01	04
36	बालोतरा	01	03
37	ब्यावर	01	03
38	डीग	01	03
39	डीडवाना-कुचामन	01	04
40	दूदू	01	03
41	गंगापुर सिटी	01	03
42	केकड़ी	01	04
43	कोटपूतली-बहरोड़	01	03
44	खैरथल	01	03
45	नीमकाथाना	01	03

क्रम संख्या	विभाग / जिला रसद कार्यालय	पूर्व स्वीकृत पद (कैडर स्ट्रेन्थ)	संशोधित स्वीकृत पद (कैडर स्ट्रेन्थ)
1	2	3	4
46	फलोदी	01	04
47	सलूमबर	01	04
48	सांचौर	01	03
49	शाहपुरा	01	03
50	खाद्य विभाग मुख्यालय	06	06
कुल योग		330	330

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र विजय)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त, जिला संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार IFMS पोर्टल में आवश्यक संशोधन हेतु सम्बंधित को निर्देशित करें।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त, जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
9. भुगतान शाखा, खाद्य विभाग।


अतिरिक्त खाद्य आयुक्त